

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

सं० :- 03/भू0अ0नि0(4)सं0आरोप(कैमूर)-06/2025..... पटना, दिनांक :-


आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) के पत्रांक 548 दिनांक 16.10.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सरुण कुमार शर्मा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN13085) दिनांक 09.07.2024 से मुख्यालय में योगदान देकर अनुपस्थित हैं एवं शिविर प्रभारी द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर भी इनके द्वारा नहीं दिया गया है। फलस्वरूप संविदा नियोजन समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक 303 दिनांक 20.01.2025 द्वारा श्री शर्मा से 07 दिनों के अन्दर इस शर्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में पुनः एक अंतिम अवसर देते हुए सशर्त 07 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया, परन्तु इसके बाद भी इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।


श्री शर्मा द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया जाना इनके मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना को स्वतः परिलक्षित करता है। साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनपर लगाए गए आरोपों को भी प्रमाणित करता है। इससे स्पष्ट है कि ये अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते हैं एवं कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 की कंडिका-8(4) में वर्णित प्रावधान के तहत श्री सरुण कुमार शर्मा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN13085) का संविदा नियोजन दिनांक 09.07.2024 की तिथि से समाप्त किया जाता है।

  
(सुहर्ष भगत)  
निदेशक

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(4)सं0आरोप(कैमूर)-06/2025..... पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्री सरुण कुमार शर्मा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN13085), बंदोबस्त कार्यालय, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।

  
निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(4)सं0आरोप(कैमूर)-06/2025<sup>1275</sup>..... पटना, दिनांक : 21/04/2026  
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Suhash*  
निदेशक 16/04/24

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(4)सं0आरोप(कैमूर)-06/2025<sup>1275</sup>..... पटना, दिनांक : 21/04/2026  
प्रतिलिपि :- संबंधित प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*Suhash*  
निदेशक 16/04/24  
भू-अभिलेख एवं परिमाण